अमरवेल (Cuscuta Campestris) से फसल सुरक्षा हेतु आवश्यक सुझाव

अमरवेल एक पूर्णतः तना परजीवी एक वर्षीय पौधा है। इसका उद्‌गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक का क्षेत्र है। इसका बीज सरसों/राई के आकार का होता है। इसका बीज अंकुरित होकर 8 दिन तक आश्रयदाता (होस्ट) पौधों की अनुपस्थिति में जीवित रहता है। इसके आगे के जीवन चक पुरा करने हेतु आश्रयदाता (होस्ट) पौधो की आवश्यकता होती है। इसके होस्ट विभिन्न प्रकार के फसले है। दलहनी फसलों विशेषकर मसूर में इसका प्रकोप विगत कई वर्षो से देखा जा रहा है। मसूर फसल (या अन्य फसल) पर यह पतला महीन हल्का पीला एवं गुलाबी रंग जैसा लत्ती बनाकर पौधो को बॉध /ढक देता है, उन्हीं पौधो के बने भोजन को उनके तना से प्राप्त कर अपनी लत्तों की वृद्धि करते जाता है, जिन्हें हम 'अमरलत्ती' के नाम से जानते हैं। इसके प्रकोप से पौधो की वृद्धि रूक जाती है, साथ ही पुष्पण एवं फलन प्रभावित होते है, जिससे उत्पादन में भारी कमी देखी जाती है।

मसूर खेती करने वाले कृषको को अमरवेल से बचाव हेतु परामर्श

1. फसल चक अपनाएँ, अगर पिछले वर्ष अमरवेल का प्रकोप हुआ हो तो अगली बार उस खेत में चना/राई/सरसों की खेती करें।
2. स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का प्रयोग करें।
3. प्रतिदिन खेत का निरीक्षण करें एवं प्रारंभिक अवस्था में ही अमरवेल को हाथ से फसल सहित निकालकर जला दें।
4. अमरवेल को फुलने एवं फलने से पहले हर हाल में खेत से हटा दे, ताकि यह बीज का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हो पाये।
5. मसूर को कतार में बोएँ / उचित समय पर तथा अनुशसितं प्रभेद लगाएँ।
6. मसूर को नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक निश्चित रूप से बुआई करें।
7. मसूर बोआई करने के 48 घंटे के अन्दर पेन्डी मेथलीन 30%E.C खरपतवारनाशी 3.3 लीटर/हे0 की दर से पानी की निर्धारित मात्रानुसार छिड़काव करें, ताकि अमरवेल बीज से अंकुरित होते ही नष्ट हो जाय।

अगर उपरोक्त सुझावों/उपायों पर कृषक बंधु अमल करेगें तो निश्चित रूप से अमरवेल के प्रकोप से अपने फसल की सुरक्षा कर अत्यधिक उत्पादन कर अधिक आय अर्जित कर सकते है।

आलेखः संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार पटना।
मो0 नं0 – 9431818813

मुद्रण एवं प्रकाशन

ए0 सी0 जैन,
उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना
दूरभाष : 0612– 2928402
बेबसाइट – www.krishi.bih.nic.in
ई–मेल – infoagri-bih@nic.in